



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2020 ई0

कार्तिक 26, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग-1

संख्या 362/IX-1/302 (2017) टीसी/2020

देहरादून, 17 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

चूँकि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में संशोधन हेतु अर्थात् उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2020 बनाये जाने हेतु मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 वर्ष 1988) की धारा 111 एवं 211 के अधीन अधिसूचना संख्या-309/ix-1/302(2017) टीसी/2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से 15 दिनों की अवधि के अवसान होने से पूर्व, आपेक्ष और सुझाव आमन्त्रित किये गये थे,

और चूँकि, उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है,

अतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 111 एवं 211 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से प्रस्तावित उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2020 को सभी संबंधितों की जानकारी के लिए एतद्वारा सहर्ष प्रकाशित करते हैं;

CAO/TR
Jm
18/10/2021

उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान (संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 168 2. उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 168 के उप नियम (4) का संशोधन (5) एवं (6) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिए गया नियम रख दिया जाएगा एवं नये उपनियम (7) (8) (9) निम्नवत जोड़ दिये जायेंगे, अर्थात्-

स्तम्भ 1

विद्यमान नियम

(4) धार्मिक यात्रा पर पर्वतीय मार्गों पर जाने वाली सवारियों के परिवहन में लगे सार्वजनिक सेवायान को उसके ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र, मार्ग, परमिट, कर जमा प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, चालक लाइसेंस की जांच करने के पश्चात "ग्रीन कार्ड" जारी किया जायेगा। "ग्रीन कार्ड" एक ऐसा दस्तावेज होगा, जिसमें वाहन से संबंधित उक्त अभिलेखों का विवरण अंकित है।

(5) उपनियम (4) के अधीन "ग्रीन कार्ड" जारी करने से पूर्व केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 62 के परन्तुक में दी गयी सारणी में दी गयी मर्दों के अनुसार यान के निरीक्षण यथास्थिति ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक/मोटरयान निरीक्षक या उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन करने वाले अन्य निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। ऐसे निरीक्षण में पर्वतीय मार्गों पर परिवहन यान से सम्बन्धित राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा दिये गये निर्देशों को भी ध्यान में रखा जायेगा। ऐसे निरीक्षण में उपयुक्त पाये गये यान को धार्मिक यात्रा पर

स्तम्भ 2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(4) धार्मिक यात्रा पर पर्वतीय मार्गों पर जाने वाली सवारियों के परिवहन में लगे सार्वजनिक सेवायान को उसके ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र, मार्ग, परमिट, कर जमा प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक लाइसेंस की जांच करने के पश्चात "ग्रीन कार्ड" एवं "ट्रिप कार्ड" जारी किया जायेगा।

स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजन के लिए-

(एक) "ग्रीन कार्ड" एक ऐसा दस्तावेज होगा, जिसमें वाहन से संबंधित उक्त अभिलेख का विवरण अंकित होगा।

(दो) "ट्रिप कार्ड" एक ऐसा दस्तावेज होगा, जिसमें चालक लाइसेंस से संबंधित अभिलेख का विवरण एवं वाहन में यात्रा कर रहे यात्रियों का विवरण अंकित होगा।

(5) ऑनलाइन "ग्रीन कार्ड" एवं "ट्रिप कार्ड" जारी करने की प्रक्रिया का निर्धारण परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

पर्वतीय मार्गों पर सवारियों के परिवहन के लिये ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र विहित प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा, जिसकी वैधता दो माह होगी।

(6) उप नियम (5) के अन्तर्गत किसी कैलेण्डर वर्ष में ऐसे प्रथम निरीक्षण की फीस केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-81 में विहित फीस के बराबर देय होगी, परन्तु उसी यात्रा अवधि में अनुवर्ती निरीक्षण के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(6) ऐसे सार्वजनिक सेवायान, जिसमें बैठने की क्षमता ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए दस से अधिक है को उपनियम (4) के अन्तर्गत "ग्रीन कार्ड" जारी करने से पूर्व केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 62 के परन्तुक में दी गयी सारणी में दी गयी मर्दों के अनुसार यान के निरीक्षण यथास्थिति ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक/मोटरयान निरीक्षक या उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन करने वाले अन्य निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। ऐसे निरीक्षण में पर्वतीय मार्गों पर परिवहन यान से सम्बन्धित राज्य/ सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा दिये गये निर्देशों को भी ध्यान में रखा जायेगा। ऐसे निरीक्षण में उपयुक्त पाये गये यान को धार्मिक यात्रा पर पर्वतीय मार्गों पर सवारियों के परिवहन के लिये ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र विहित प्राधिकारी द्वारा दिया जायेगा:

परन्तु ऐसे सार्वजनिक सेवायान, जिनमें बैठने की क्षमता चालक सहित 10 सीट या उससे कम है, को उपनियम (4) के अधीन "ग्रीन कार्ड" जारी करने हेतु भौतिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु यह और कि पंजीयन अधिकारी किसी विशेष मामले में वाहन निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसी अपेक्षा किए जाने पर वाहन स्वामी द्वारा वाहन को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(7) उपनियम (4) के अन्तर्गत जारी किए गए "ग्रीन कार्ड" की वैधता प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक अथवा उपनियम (4) में उल्लिखित किसी अभिलेख की वैधता, जो कि कम हो तक के लिए होगी, "ग्रीन कार्ड" की वैधता प्रारम्भ करने की तिथि संबंधित आवेदक द्वारा आवेदन करते समय आवेदन पत्र में अंकित की जाएगी।

(8) प्रत्येक "ग्रीन कार्ड" के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी-

(एक) हल्का मोटरयान के लिए-रु० 400.00

(दो) मध्यम मोटरयान के लिए- रु० 600.00

(तीन) भारी मोटरयान के लिए- रु० 600.00

उपरोक्त फीस का भुगतान वाहन स्वामी द्वारा ग्रीन कार्ड आवेदन के समय आन लाइन किया जाएगा।

(9) उप नियम (4) के अन्तर्गत जारी किए गए "ट्रिप कार्ड" की वैधता एक वापसी फेरे के लिए होगी, जिसके लिए कोई फीस देय नहीं होगी।

शैलेश बगोली,
सचिव।